संख्या:18/2022/1063ई-2/तेरह-2022-379778

प्रेषक,

राजवीर सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 **लखनऊ :दिनांक: 06 जून, 2022**

विषयः- मेसर्स अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि., यूनिट स्योहारा आसवनी, स्योहारा, जनपद-बिजनौरको बी-हैवी शीरे से अल्कोहल उत्पादन किए जाने के कारण अधिष्ठापित क्षमता में अंतरिम रूप से 20 प्रतिशत के अतिरिक्त 5 प्रतिशत की और वृद्धि किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-168/दो-प्रा.डी.-26, दिनांक 11-05-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 11-05-2022 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/ प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मेसर्स अवध शुगर एण्ड एनर्जी लि., यूनिट स्योहारा आसवनी, स्योहारा, जनपद-बिजनौर को शासनादेश दिनांक 27-08-2021 द्वारा स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 350 लाख लीटर वार्षिक के अतिरिक्त अन्तरिम रूप से 20 प्रतिशत अर्थात 70 लाख ब.ली. एथनॉल के उत्पादन को परिवर्तित करते हुए बी-हैवी शीरे से अन्तरिम रूप से 20 प्रतिशत को बढ़ाकर 25 प्रतिशत अर्थात् 70 लाख लीटर से बढ़ाकर 87.5 लाख लीटर वार्षिक अतिरिक्त रूप से एथनॉल का उत्पादन बी-हैवी शीरे से किये जाने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी/इकाई द्वारा निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों का अक्षरशः अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगाः-

(1) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित सम्बन्धित समस्त आवश्यक पर्यावरणीय व अन्य सांविधिक शर्तें।

(3) उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 08-12-2021 द्वारा निर्गत जल सहमति एवं कन्सेन्ट आर्डर दिनांक 08-12-2021 द्वारा निर्गत वायु सहमति में उल्लिखित शर्तें।

(4) आसवक द्वारा बढ़ी हुयी क्षमता पर नियमानुसार तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा किया जायेगा तथा आसवनी में बी-हैवी शीरे के उपभोग के समाप्त होने पर सी-हैवी शीरे से अल्कोहल

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

उत्पादन किये जाने हेतु आसवनी के सहायक आबकारी आयुक्त से अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

(5) प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने से पूर्व आबकारी आयुक्त, उ.प्र. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर अद्यतन कोई राजस्व देयता/बकाया नहीं है।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजवीर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।